"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर 2010—भाद्र 12, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26-07-2010 द्वारा श्री देवी दयाल सिंह, भा.प्र.से. (2000) सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26-7-2010 द्वारा श्री एस. एल. रात्रे, भा.प्र.से. (2000) संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग को सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री रात्रे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय. उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2010

क्रमांक/एफ 1/03/दो गृह/भापुसे/2001.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अनिल एम. नवानी, भा.पु.से. (1978), महानिदेशक, नगर सेना एवं सचांलक, लोक अभियोजन, छ. ग. रायपुर को अपनी माताजी के उपचार एवं अति-आवश्यक कार्यों से दिल्ली जाने हेतु दिनांक 30-08-2010 से दिनांक 01-10-2010 तक कुल 33 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 29 अगस्त एवं 2-3 अक्टूबर 2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री अनिल एम. नवानी, भा.पु.से. के उक्त अवकाश अवधि में महानिदेशक, नगर सेना, छ. ग. का कार्यभार श्री आर. सी. पटेल, भा.पु.से. (1990), महानिरीक्षक, नगर सेना को तथा संचालक, लोक अभियोजन, छ. ग. का कार्यभार श्री जे. पी. पड़वार, अतिरिक्त संचालक, लोक अभियोजन को सौंपा जाता है.

3. श्री अनिल एम. नवानी, भा.पु.से. (1978), महानिदेशक, नगर सेना एवं संचालक, लोक अभियोजन, छ. ग. रायपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री अनिल एम. नवानी, भा.पु.से. (1978), महानिदेशक, नगर सेना एवं संचालक, लोक अभियोजन, छ. ग. रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल एम. नवानी, भा.पु.से. (1978), महानिदेशक, नगर सेना एवं संचालक, लोक अभियोजन, छ. ग. रायपुर अवकाश नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. लिखार, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्रमांक-एफ 3-70/2010/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जनसुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना/चौकी का नाम जिसमें शामिल किया जाना है	उस पुलिस थाने का नाम, तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-दल्ली राजहरा	थाना-महामाया, जिला दुर्ग	बिटाल	21
			झीकाटोला	21
			हितकसा	21
			जागुड़वाही	21
			रजही	19
			ककरेल	19
			देवपाण्डुम	19
			पीपरखार	39
			दुटाल (ठुठामारदी)	39

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	थाना-गौरेला (पेन्ड्रारोड)	थाना-मरवाही, जिला बिलासपुर	खैरझिटी	18
			पंडखुरी	18
			भस्कुरा	19
3.	पुलिस चौकी-बस्तर	थाना-लोहण्डीगुड़ा, जिला-जगदलपुर	झारतराई	28
4.	थाना-खरसिया	थाना-छाल, जिला-रायगढ़	बरभौना	05
			कुकरीचोली	05
			तेन्दूमुडी	05
			छोटे जामपाली	05,
5.	थाना व तह.-पलारी, जिला-रायपुर	थाना-कसडोल, जिला-रायपुर	सलोनी	28
6.	थाना-पोड़ी, तह.-मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया.	थाना व तह.-मनेन्द्रगढ़	नागपुर	08
			सरभोका	08
			सेमरा	07
			बरसपुर	07
			हर्रा	08
			सलका	08
			मोरगा	08
			अमृतधारा	08
			दर्रीटोला	07
			महराजपुर	07
			बंजी	08
			लाई	08
			मुख्तियारपारा	08
			सेंधा	08
			चिरईपानी	08
			उजियापुर	07
			सोनबरसा	07
			लोहारी	07
			सरोला	08
			राधारमण नगर	07
			नवापारा	08
7.	थाना-घुमका, जिला राजनांदगांव	थाना-सोमनी, जिला राजनांदगांव	कलडबरी	12
8.	थाना-सोमनी, जिला राजनांदगांव	थाना-पुलगांव, जिला-दुर्ग	अंजोरा	27
9.	चौकी-चेन्द्रा, थाना-झिलमिली जिला-सूरजपुर	थाना-चंदोरा, जिला सूरजपुर	कटीन्द्रा	27
			पहाड़ अमोरनी	27

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षेत्रसिंह, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक एफ. 01-31/31/स्था./2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रमेश चंद्र सिंघवी अधीक्षण अभियंता (रूपा.) कार्या. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग सिहावा भवन, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक (वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों सहित) प्रभारी मुख्य अभियंता (प्रबोधन)/परियोजना निदेशक, छ. ग. सिंचाई विकास परियोजना स्टेट डाटा सेन्टर कार्या. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर में पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. दीवान, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 10-1/2010/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम-2 उपनियम (छ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा समस्त कारखाना निरीक्षकों (सहायक संचालक एवं उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा) को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) के अंतर्गत उनकी क्षेत्राधिकारिता के भीतर उपकर निर्धारण अधिकारी नियुक्त करता है.

No. F 10-1/2010/16.—In exercise of the powers conferred by Sub rule (g) of rule 2 of Building and Other Construction Workers Welfare Cess Rules 1998, the State Government hereby appoints all the Inspectors of Factories (Assistant Directors and Deputy Directors, Industrial Health and Safety), as Cess Assessing Officers under Building and Other Consruction Workers Welfare Cess Act, 1996 (28 of 1996), in their jurisdiction.

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 10-22/2010/16.—राज्य शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रदेश में गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर न्यूनतम वेतन अधिनियम की भाग-क में उल्लेखित अधिसूचित नियोजनों के प्रभावशीलन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में शहर/क्षेत्र को निम्नानुसार 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना प्रस्तावित है :—

संशोधित सूची

क्र.	शहर/क्षेत्र की श्रेणी	स्थान का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	(अ)	रायपुर नगर निगम एवं नगर निगम सीमा के 16 किलोमीटर क्षेत्र तक.
		नया राजधानी रायपुर, नगर पालिका बीरगांव, उरला, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र.

(1)	(2)	(3)
2.	(ब)	भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, चिरमिरी, जगदलपुर नगर निगम एवं नगर निगम सीमा से 08 किलोमीटर तक का क्षेत्र. धमतरी, भिलाई-चरोदा नगर पालिका एवं नगर पालिका सीमा से 05 किलोमीटर तक का क्षेत्र.
3.	(स)	वर्ग "अ" एवं "ब" छोड़कर शेष प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र

उपरोक्त प्रस्तावित वर्गीकृत शहर/क्षेत्र की सूची से प्रभावित नियोजकों, प्रतिस्थापनाओं एवं व्यक्तियों से जिनके संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, वर्गीकृत शहर/क्षेत्र की सूची के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 3 माह के भीतर अभ्यावेदन एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाती है अन्यथा 3 माह के अवसान की स्थिति में अधिसूचना में उल्लेखित वर्गीकृत सूची मान्य किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 10-22/2010/16.—राज्य शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रदेश में गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर न्यूनतम वेतन अधिनियम की भाग-क में उल्लेखित अधिसूचित नियोजनों में निम्नानुसार वृद्धि का प्रस्ताव करता है :—

अधिसूचित नियोजनों की संशोधित सूची

क्र. (1)	नियोजन का नाम (2)
1.	पावर प्लांट में नियोजन
2.	स्टील प्लांट में नियोजन
3.	स्पंज आयरन में नियोजन
4.	रोलिंग मिल में नियोजन
5.	कास्टिंग उद्योग इंडस्ट्रीज में नियोजन
6.	सीमेंट फैक्ट्री
7.	सुरक्षा गार्ड में नियोजन
8.	भवन एवं अन्य सनिर्माण कार्य में नियोजन
9.	स्टोन क्रेशिंग में नियोजन
10.	पत्थर पीसने एवं तोड़ने वाले नियोजन
11.	ईट भट्ठा में नियोजन
12.	चूना भट्ठा में नियोजन
13.	टाईल्स जिसमें मेंगलोर टाईल्स, अलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन.
14.	पाटरिंज जिसमें रिफेक्ट्रीज सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सुलेटर्स टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरेमिक्स सामान्य सम्मिलित है, में नियोजन.
15.	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन
16.	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन एवं निर्माण कार्यों में नियोजन
17.	इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
18.	सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
19.	वन उपज एवं वन लगाने में नियोजन तथा नर्सरी
20.	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन

(1)	(2)
21.	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
22.	शैक्षणिक संस्थान एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में नियोजन
23.	हॉस्पीटल, नर्सिंग होम, पैथालॉजी में नियोजन
24.	विक्रय संवर्धन कर्मकार (सेल्स प्रमोशन कर्मकार)
25.	किसी मुद्रणालय में नियोजन
26.	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प/गैस वितरण केन्द्र एवं गोडाउन में नियोजन
27.	साल्वेंट प्लांट तथा रिफाइनरी में नियोजन
28.	किसी तेल मिल में नियोजन
29.	केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
30.	हमाल, तौलेया, कुली, रेजा एवं मण्डी श्रमिक
31.	किसी चावल मिल आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
32.	किसी मुर्रा पोहा निर्माणी में नियोजन
33.	खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेशनरी, आईसक्रीम, आईसकेण्डी सम्मिलित है एवं पेयक निर्माण में नियोजन.
34.	खांडसरी उद्योग/चीनी मिल में नियोजन
35.	किसी आरा मिल में नियोजन/वुड वर्क
36.	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
37.	फ्यूल कोक में नियोजन
38.	पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन
39.	कोसा उद्योग में नियोजन
40.	हाथ करघा उद्योग में नियोजन
41.	कंबल निर्माण कार्य में नियोजन.
42.	बोन मिल में नियोजन
43.	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
44.	पोल्ट्री फार्म में नियोजन
45.	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ट) परिभाषित की गई, चलाई जाती है, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आती है, में नियोजन.

उपरोक्त प्रस्तावित अधिसूचित नियोजनों की सूची से प्रभावित नियोजकों, प्रतिस्थापनाओं एवं व्यक्तियों से जिनके संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, संशोधित सूची के अधिसूचना दिनांक से राजपत्र में प्रकाशित होने के 3 माह के भीतर अभ्यावेदन एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाती है अन्यथा 3 माह के अवसान की स्थिति में अधिसूचना में उल्लेखित संशोधित सूची न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधिसूचित नियोजन मान्य किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 10-21/2010/16.—संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, संविदा श्रमिक (नियमन तथा समाप्ति) छत्तीसगढ़ नियम, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करना प्रस्तावित है :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 24 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(1) "अनुज्ञप्ति जारी किए जाने के पूर्व संविदा श्रमिक के रूप में नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक कामगार के लिए, जिसके कि संबंध में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-पत्र दिया गया है एक हजार रुपये की दर से संगणित राशि ठेकेदार द्वारा अनुज्ञप्ति

की शर्तों के सम्यक् पालन के लिए तथा अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए जमा की जाएगी."

उपरोक्त प्रस्तावित प्रतिभूति राशि पुनरीक्षण से प्रभावित नियोजकों, प्रतिस्थापनाओं एवं व्यक्तियों से जिनके पुनरीक्षण से प्रभावित होने की संभावना है, प्रतिभूति राशि पुनरीक्षण की अधिसूचना दिनांक से 3 माह के भीतर अभ्यावेदन एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाती है, अन्यथा 3 माह के अवसान की स्थिति में अधिसूचना में उल्लेखित प्रतिभूति राशि प्रभावशील किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक 7060/20-28/2010/19/तक.— छत्तीसगढ़ राज मार्ग अधिनियम, 2003 (क्र. 12 सन् 2003) के अध्याय-दो, के खण्ड (3) के उपखण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित मार्गों को, मुख्य जिला मार्ग घोषित करती है :—

सारणी

क्र.	मार्ग का नाम	जिला का नाम	कुल योग लंबाई (कि.मी. में)
1	2	3	4
1	बंगाली–मुर्रा–मोहरेंगा–भरवाडीह–पंथराकुंडी मार्ग	रायपुर	12.00
2	भैंसा–कोरासी–चोरभट्ठी मार्ग	रायपुर	10.80
3	भैंसमुड़ी–अमसेना–अमोदी–रसौटा–तुलसी मार्ग	रायपुर	12.00
4	भैंसा से कुम्हारी–आलेसुर–पचरी मार्ग	रायपुर	10.00
5	पाड़ाभाट–चिंगरिया–मोतीमपुर–कुम्हारी मार्ग	रायपुर	10.00
6	बंगोली–पिकरीडी–मुड़पार–तिल्दाडीह– बिठिया–असौंदा मार्ग	रायपुर	13.00
7	रायखेड़ा–मुर्रा–मांठ–खरोरा मार्ग	रायपुर	14.00
8	खरोरा–केसलाडीह–मोतिनपुर–कुम्हारी मार्ग	रायपुर	12.00
9	कनकी–देवरतिल्दा–पण्डा–परसवानी मार्ग	रायपुर	10.00
10	चरोदा–गिधवा–छटेरा मार्ग	रायपुर	10.10
11	तुलसी–बनरसी–समोदा मार्ग	रायपुर	11.20
12	घोरभट्टी–कोरासी–पिरदा–कोड़ापार मार्ग	रायपुर	10.00
13	बोरियाखुर्द–कांदुल–काठाडीह–दतरेंगा– खिलोरा मार्ग	रायपुर	11.80
14	सेजबहार–धुसेरा–सिवनी–बेंद्री–परसट्टी मार्ग	रायपुर	11.70
15	बोरियाकला–धनेली–धुसेरा–देउरभाठा– भटगांव माना बस्ती मार्ग	रायपुर	11.60

1	2	3	4
16	जामगांव मंदलोर पोड़ डंगनिया मार्ग	रायपुर	13.00
17	परसुलीडीह लमकेनी डोंडरा मार्ग	रायपुर	3.00
18	डोंगरीतराई चिपरीडीह पटैवा पिपरौद उमरपोटी सुंदरकेरा मार्ग	रायपुर	15.20
19	केन्द्री सिवनीं सेजबहार दतरेंगा मार्ग	रायपुर	14.00
20	सारखी सकरी बेलर सरबदा मार्ग	रायपुर	10.50
21	दादरझौंरी मानिकचौरी टोकरो कोड़ापार मार्ग	रायपुर	10.10
22	खोरसी–खपरी खैंदा–रसेड़ा मार्ग	रायपुर	10.00
23	राजिम–कोपरा मार्ग	रायपुर	13.20
24	कोपरा–पोखरा मार्ग	रायपुर	25.60
25	पांडुका–कौंदकेरा मार्ग	रायपुर	18.00
26	जामगांव–गुण्डरदेही–सोरिद मार्ग	रायपुर	15.60
27	राजिम, छुरा मार्ग व्हाया तर्रीघाट	रायपुर	45.00
28	छुरा–फिंगेश्वर मार्ग	रायपुर	28.10
29	परसूली–पीपरछेड़ी–रसेला मार्ग	रायपुर	22.80
30	छुरा–चुरकीदादर चरौदा मार्ग	रायपुर	30.00
31	मड़ेली–गायडबरी–पाण्डुका मार्ग	रायपुर	32.00
32	छुरा–रसेला मार्ग	रायपुर	17.00
33	अमलीपदर–उरमाल–देवभोग मार्ग	रायपुर	23.00
34	देवभोग–गिरसुल–केंटपदर मार्ग	रायपुर	13.00
35	संडी–सेजा–जर्वे–डुमहा–भंडार–तेलासी– सिरपुर मार्ग	रायपुर	22.00
36	मामाभांचा कमरौद तुसदा मार्ग	महासमुंद	11.10
37	खैरट मोखा बाघामुड़ा मुनगासेर मार्ग	महासमुंद	13.70
38	कोमाखान नर्रा खट्टी मार्ग	महासमुंद	16.50
39	झलप रैतुम अचानकपुर मार्ग	महासमुंद	19.45
40	सरायपाली उमरिया भंवरपुर बडसाजापाली मार्ग	महासमुंद	30.50
41	सांकरा परसवानी लारीपुर मार्ग	महासमुंद	15.50
42	कौआझार पिरदा लहंगर मार्ग	महासमुंद	11.40

1	2	3	4
43	पिरदा चनाट मार्ग	महासमुंद	15.00
44	पिरदा भंवरपुर मार्ग	महासमुंद	13.00
45	भूरकोनी खांडादरहा मार्ग	महासमुंद	10.25
46	देवरी सल्डीह बहादुरपुर मार्ग	महासमुंद	15.00
47	बागबाहरा सोनदादर लमकेनी मार्ग	महासमुंद	11.00
48	पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट मार्ग	बिलासपुर	20.40
49	पेण्ड्रीडीह से सकरी मार्ग	बिलासपुर	15.30
50	सीपत बेलतरा मार्ग	बिलासपुर	23.10
51	कोनी से मोपका मार्ग	बिलासपुर	16.40
52	जरहागांव सेमरसल देवहट मार्ग	बिलासपुर	12.60
53	लिंक रोड बिलासपुर से तारबाहर नगपुरा मार्ग	बिलासपुर	16.00
54	हिर्री बिल्हा मार्ग	बिलासपुर	8.60
55	भोजपुरी से अमलडीहा मार्ग(व्हाया दगौरीउड़नताल चुराघाट चौरहामैना,घोघरा कोहरौदा खपरी)	बिलासपुर	52.00
56	चकरभाटा से दगौरी मार्ग(व्हाया रहंगी, बिल्हा,उडगन,दगोरी)	बिलासपुर	30.00
57	जांजी कौडिया एरमशाही जयरामनगर मार्ग	बिलासपुर	28.00
58	महमंद फदहाखार हरदीटोना खपराखोल सरवानी मार्ग (बिलासपुर बाईपास मार्ग का हिस्सा लं. 4.9 कि.मी. शामिल है)	बिलासपुर	33.20
59	पचपेडी मानिकचौरी आमगांव करहीबजार मार्ग	बिलासपुर	24.00
60	मल्हार से चिल्हाटी मार्ग (व्हाया ओखर गिधपुरी बहतरा भटचौरा चिल्हाटी)	बिलासपुर	48.40
61	दर्रीघाट लावर कोनी झरतापाली सरसेनी मटिया बकरकुदा मार्ग	बिलासपुर	46.20
62	गुडी पोडी करमा मार्ग	बिलासपुर	20.40
63	पचपेडी से चिल्हाटी मार्ग(व्हाया–भरारी बोहारडीह लोहर्सी चिल्हाटी)	बिलासपुर	47.60
64	झाल से हाथफोडवा मार्ग(व्हाया खम्हारडीह पासीद मंगला बेलटुकरी हथफोडवा मार्ग)	बिलासपुर	29.20
65	लगरा से जयरामनगर(मार्ग व्हाया गतौरा मार्ग)	बिलासपुर	24.00
66	सीपत नवाडीह चौक से मोहरा झलमला मार्ग	बिलासपुर	28.00

1	2	3	4
67	सक्ती मालखरौदा छपोरा मार्ग	जांजगीर चांपा	30.00
68	सक्ती बासीनपाट कोरबा मार्ग	जांजगीर चांपा	38.40
69	धरकोट पेण्डरवा मार्ग	जांजगीर चांपा	24.00
70	पोता फगुरम मार्ग	जांजगीर चांपा	15.00
71	बड़ेसीपत परसवानी बिर्रा हसौद मार्ग	जांजगीर चांपा	10.80
72	मालखरौदा जैजैपुर मार्ग	जांजगीर चांपा	18.00
73	सारागांव ब्रम्हनीडीह मार्ग	जांजगीर चांपा	10.20
74	दर्राभांठा भोथिया सलनी मुरलीडीह कचंदा मार्ग	जांजगीर चांपा	23.00
75	रोगदा बिरगहनी मार्ग	जांजगीर चांपा	29.20
76	शिवरीनारायण खरताल मार्ग	जांजगीर चांपा	12.00
77	नैला पंतोरा मार्ग	जांजगीर चांपा	29.60
78	अकलतरा बलौदा मार्ग	जांजगीर चांपा	18.00
79	देवरी खोरसी तनौद भुईगांव मार्ग	जांजगीर चांपा	14.00
80	तरौद से धाराशिव मार्ग	जांजगीर चांपा	14.20
81	केकराभांठ कोसमाली आमापाली बसंतपुर गोरखापाली मन्द्रगोढ़ी मार्ग	जांजगीर चांपा	20.00
82	बलौदा से बुड़गहन मार्ग	जांजगीर चांपा	10.00
83	मेढ़ापाली बांरापीपर अमलडीहा मार्ग	जांजगीर चांपा	17.00
84	पाली पोड़ी सिल्ली रतनपुर मार्ग	कोरबा	21.20
85	पाली लाफा मार्ग	कोरबा	11.20
86	सक्ती कोरबा मार्ग	कोरबा	16.60
87	कोड़ातराई–पुसौर–सूरजगढ़ मार्ग	रायगढ़	16.80
88	तमनार घरघोड़ा मार्ग	रायगढ़	12.30
89	रा.रा.200 से चंपले से नंदेली–पेन्ड्रावा–चंद्रपुर रा.रा. 216 तक	रायगढ़	45.00
90	गोर्रा लिंजिर मार्ग	रायगढ़	16.20
91	संबलपुरी तिलगा भगोरा जामगांव मार्ग	रायगढ़	15.00
92	रा.रा.200 से करुभांठा–रक्षापाली–कछार उसरौठ–तारापुर–पुटकापुरी–सुतां से रा.रा.216 तक	रायगढ़	50.00
93	बरमकेला सरिया नदीगांव मार्ग	रायगढ़	18.20

1	2	3	4
94	जोबी बरगढ़ मार्ग	रायगढ़	14.40
95	ऐडू बरभौना सिंघनपुरी मार्ग	रायगढ़	22.50
96	बाकारुमा लैलूंगा मार्ग	रायगढ़	24.00
97	छाल घरघोड़ा मार्ग	रायगढ़	27.40
98	धरमजयगढ़ कापू मार्ग	रायगढ़	32.20
99	चरखापारा ससकोबा कापू मार्ग	रायगढ़	28.00
100	राजपुर कोड़ासिया बहमा मार्ग	रायगढ़	19.40
101	दनोट कया कमतरा मार्ग	रायगढ़	13.40
102	पत्थलगांव कापू मार्ग	रायगढ़	10.50
103	बेरला कंडरका पठारीडीह मार्ग	दुर्ग/रायपुर	34.00
104	गाड़ामोर से पुटपुरा मार्ग	दुर्ग	21.80
105	करहीभदर निपानी मोखा बेल्हारी मार्ग	दुर्ग	31.80
106	जामगांव गुंडरदेही दुर्ग मार्ग	दुर्ग	18.00
107	अर्जून्दा ओडरसकरी आमटी अंडा मार्ग	दुर्ग	20.60
108	भिलाई सिरसाकला औंधी औंरी मार्ग लं. 17.60 कि.मी.	दुर्ग	17.60
109	कुगदा कुरुदडीह मोतीपुर मार्ग	दुर्ग	11.90
110	राहटादाह दारगांव मोहरेंगा मार्ग	दुर्ग	17.60
111	नंदनी हरदी माटरा खजरी मार्ग	दुर्ग	11.60
112	दुर्ग जुनवानी कोहका कुरुद जामुल मार्ग	दुर्ग	11.20
113	अण्डा रनचिराई मार्ग	दुर्ग	20.20
114	अण्डा निकुम विनायकपुर मार्ग	दुर्ग	13.20
115	अछोटी आलबरस निकुम मार्ग	दुर्ग	10.00
116	दुर्ग(कसारीडीह) हनोदा कोड़िया उतई मार्ग	दुर्ग	15.60
117	दुर्ग कोटनी नगपुरा करेला मार्ग	दुर्ग	17.00
118	बसनी कन्हारपुरी तुमाकला बोरी लिटिया मार्ग	दुर्ग	18.00
119	खेदामारा बोड़ेगांव ननकट्ठी मार्ग	दुर्ग	16.80
120	भरर पाटन मार्ग	दुर्ग	17.00

1	2	3	4
121	पाटन बठेना सावनी रुही जामगांव मार्ग	दुर्ग	14.00
122	तेंलीगुण्डरा केसरा तर्रीघाट मार्ग	दुर्ग	15.00
123	जामगांव बेल्हारी निपानी रानीतराई मार्ग	दुर्ग	20.20
124	मर्रा खर्रा मार्ग	दुर्ग	17.00
125	जमागांव बटरेल मार्ग	दुर्ग	8.60
126	गब्दी बेलौदी आमालोरी मार्ग	दुर्ग	7.60
127	भनसुली खम्हरिया सिपकोना मार्ग	दुर्ग	9.50
128	जामगांव अमलेश्वर झीट मार्ग	दुर्ग	16.00
129	सुकमा से मलकानगिरी मार्ग	दंतेवाड़ा	12.00
130	तोंगपाल लेदा पुसपाल मार्ग	दंतेवाड़ा	15.00
131	छिंदगढ़ बुड़दी मार्ग	दंतेवाड़ा	12.80
132	सौतनार पहुंच मार्ग	दंतेवाड़ा	21.00
	योग :— 132 मार्ग		**2497.40**

Raipur, the 18th August 2010

No. 7060/F 20-28/2010/19/T.—In excercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (3) of Chapter-II of the Chhattisgarh Rajmarg Act, 2003 (No. 12 of 2003) the State Government hereby declares the following roads as Major District Roads :—

TABLE

S. No.	Name of Road	Name of District	Length (in Km.)
1	2	3	4
1	Bangoli-Murra-Mohrenga-Bharwadih-Pathrakundi road	Raipur	12.00
2	Bhaisa-Korasi-Chorbhatti road	Raipur	10.80
3	Bhaismudi-Amsena-Amodi-Rasouta-Tulsi road	Raipur	12.00
4	Bhaisa to Kumhari-Alesur-Pachari road	Raipur	10.00
5	Padabhat-Chingriya-Motimpur-Kumhari road	Raipur	10.00
6	Bangoli-Pikridi-Mudpar-Tildadih-Bithiya-Asounda road	Raipur	13.00
7	Raikheda-Murra-Manth-Kharora road	Raipur	14.00
8	Kharora-Keshladih-Motinpur-Kumhari road	Raipur	12.00

1	2	3	4
9	Kanki-Deortilda-Panda-Paraswani road	Raipur	10.00
10	Charoda-Gidhawa-Chhatera road	Raipur	10.10
11	Tulsi-Banarsi-Samoda road	Raipur	11.20
12	Ghorbhatti-Korasi-Pirda-Kodapar road	Raipur	10.00
13	Boriyakhurd-Kandul-Kathadih-Datrenga-Khilora road	Raipur	11.80
14	Sejbahar-Dhusera-Siwni-Bendri-Parsatti road	Raipur	11.70
15	Boriyakala-Dhaneli-Dhusera-Deorbhatha-Bhatgaon Mana Basti road	Raipur	11.60
16	Jamgaon Mandlor Pond Dangniya road	Raipur	13.00
17	Parsulidih Lamkeni Dondara road	Raipur	.3.00
18	Dongaritarai Chipridih Patewa Piproud Umarpoti Sunderkera road	Raipur	15.20
19	Kendri Siwni Sejbahar Datrenga road	Raipur	14.00
20	Sarkhi Sakri Belar Sarbada road	Raipur	10.50
21	Dadarjhouri Manikchouri Tokro Kodapar road	Raipur	10.10
22	Khorsi-Khapri Khainda-Raseda road	Raipur	10.00
23	Rajim-Kopra road	Raipur	13.20
24	Kopra-Pokhar road	Raipur	25.60
25	Panduka-Koundkera road	Raipur	18.00
26	Jamgaon-Gunderdehi-Sorid road	Raipur	15.60
27	Rajim, Chhura road vyaha Tarrighat	Raipur	45.00
28	Chhura-Phingeshwar road	Raipur	28.10
29	Parsuli-Piperchhedi-Rasela road	Raipur	22.80
30	Chhurra-Churkidadar chharoda road	Raipur	30.00
31	Madeli-Gaaidabri-Panduka road	Raipur	32.00
32	Chhura-Rasela road	Raipur	17.00
33	Amlipadar-Urmal-Deobhog road	Raipur	23.00
34	Deobhog-Girsul-Kentpadar road	Raipur	13.00

1	2	3	4
35	Sandi-Seja-Jarve-Dumha-Bhandar-Telasi-Sirpur road	Raipur	22.00
36	Mamabhancha Kamroud Tusda road	Mahasamund	11.10
37	Khairat Mokha Baghamuda Mungaser road	Mahasamund	13.70
38	Komakhan Narra Khatti road	Mahasamund	16.50
39	Jhalap Raitum Achanakpur road	Mahasamund	19.45
40	Saraipali Umariya Bhanwarpur Badsajapali road	Mahasamund	30.50
41	Sankra Paraswani Laripur road	Mahasamund	15.50
42	Kouajhar Pirda Lahangar road	Mahasamund	11.40
43	Pirda Chanat road	Mahasamund	15.00
44	Pirda Bhanwarpur road	Mahasamund	13.00
45	Bhurkoni Khandadarha road	Mahasamund	10.25
46	Deori Saldih Bahadurpur road	Mahasamund	15.00
47	Bagbahara Sondadar Lamkeni road	Mahasamund	11.00
48	Pendridih to Darrighat road	Bilaspur	20.40
49	Pendridih to Sakri road	Bilaspur	15.30
50	Seepat Beltara road	Bilaspur	23.10
51	Koni to Mopka road	Bilaspur	16.40
52	Jarhagaon Semarsal Dewhat road	Bilaspur	12.60
53	Link road Bilaspur to Tarbahar Nagpura road	Bilaspur	16.00
54	Hirri Bilha road	Bilaspur	8.60
55	Bhojpuri to Amaldiha road(Vyaha Dagoriudantal Churaghat Chourmaina, Ghoghra Kohrouda Khapri)	Bilaspur	52.00
56	Chakarbhata to Dagori road(Vyaha Rahangi,Bilha,Udgan,Dagori)	Bilaspur	30.00
57	Janji Koudiya Aramshahi Jairamnagar road	Bilaspur	28.00
58	Mahmand Phadhakhar Harditona Khaprakhol Sarwani road(Bilaspur Bypass road included length 4.9 km)	Bilaspur	33.20
59	Pachpedi Manikchouri Amgaon Karhibazar road	Bilaspur	24.00
60	Malhar to Chilhati road(Vyaha Okhar Gidhpuri Bahtara Bhatchoura Chilhati)	Bilaspur	48.40

1	2	3	4
61	Darrighat Lawar Koni Jhartapali Sarseni Matiya Bakarkuda road	Bilaspur	46.20
62	Gudi Podi Karma road	Bilaspur	20.40
63	Pachpedi to Chilhati road (Vyaha-Bharari Bohardih Lohrsi Chilhati)	Bilaspur	47.60
64	Jhal to Hathphodwa road(Vyaha Khamhardih Pasid Mangala Beltukari Hathphodwa road)	Bilaspur	29.20
65	Lagra to Jairamnagar road(Vyaha Gatoura road)	Bilaspur	24.00
66	Seepat Nawadih Chouk to Mohra Jhalmala road	Bilaspur	28.00
67	Sakti Malkharoda Chhapora road	Janjgir champa	30.00
68	Sakti Basinpat Korba road	Janjgir champa	38.40
69	Gharkot Pendarwa road	Janjgir champa	24.00
70	Pota Phaguram road	Janjgir champa	15.00
71	Badeseepat Paraswani Birra Hasoud road	Janjgir champa	10.80
72	Malkharoda jaijaipur road	Janjgir champa	18.00
73	Saragaon Bamhnidih road	Janjgir champa	10.20
74	Darrabhantha Bhothiya Salni Murlidih Kachanda road	Janjgir champa	23.00
75	Rogda Birgahni road	Janjgir champa	29.20
76	Shivrinarayan Khartal road	Janjgir champa	12.00
77	Naila Pantora road	Janjgir champa	29.60
78	Akaltara Baloda road	Janjgir champa	18.00
79	Deori Khorsi Tanoud Bhuigaon road	Janjgir champa	14.00
80	Taroud to Dharashiv road	Janjgir champa	14.20
81	Kekarbhanth Kosmali Amapali Basantpur Gorkhapali Mandragodi road	Janjgir champa	20.00
82	Baloda to Budgahan road	Janjgir champa	10.00
83	Medhapali Barapiper Amaldiha road	Janjgir champa	17.00
84	Pali Podi Silli Ratanpur road	Korba	21.20
85	Pali Lapha road	Korba	11.20
86	Sakti Korba road	Korba	16.60
87	Kodatarai-Pusour-Surajgarh road	Raigarh	16.80
88	Tamnar Gharghoda road	Raigarh	12.30

1	2	3	4
89	N.H.200 to Chaple to Nandeli-Pandranwa-Chandrapur N.H. 216	Raigarh	45.00
90	Gorra Linjir road	Raigarh	16.20
91	Sambalpuri.Tilga Bhagora Jamgaon road	Raigarh	15.00
92	N.H.200 to Karubhantha-Rachkhapali-Kachhar Usrout-Tarapur-Putkapuri-Suta to N.H.216	Raigarh	50.00
93	Baramkela Sariya Nandigaon road	Raigarh	18.20
94	Jobi Bargarh road	Raigarh	14.40
95	Aidu Babhouna Singhanpuri road	Raigarh	22.50
96	Bakaruma Lailunga road	Raigarh	24.00
97	Chhal Gharghoda road	Raigarh	27.40
98	Dharamjaigarh Kapu road	Raigarh	32.20
99	Charkhapara Saskoba Kapu road	Raigarh	28.00
100	Rajpur Kodasiya Bahma road	Raigarh	19.40
101	Danot Kaya Kamtara road	Raigarh	13.40
102	Patthalgaon Kapu road	Raigarh	10.50
103	Berla Kandaraka Patharidih road	Durg/Raipur	34.00
104	Gadamor to Putputa road	Durg	21.80
105	Karhibhadar Nipani Mokha Belhari road	Durg	31.80
106	Jamgaon Gunderdehi Durg road	Durg	18.00
107	Arjunda Odarsakri Amti Anda road	Durg	20.60
108	Bhilai Sirsakala Aoundhi Aouri road length 17.60 km	Durg	17.60
109	Kugda Kuruddih Motipur road	Durg	11.90
110	Rahtadah Dargaon Mohrenga road	Durg	17.60
111	Nandani Hardi Matra Khajri road	Durg	11.60
112	Durg Junwani Kohka Kurud Jamul road	Durg	11.20
113	Anda Ranchirai road	Durg	20.20
114	Anda Nikum Vinayakpur road	Durg	13.20
115	Achhoti Albaras Nikum road	Durg	10.00

1	2	3	4
116	Durg(Kasaridih) Hanoda Kodiya Utai road	Durg	15.60
117	Durg Kotni Nagpura Karela road	Durg	17.00
118	Basni Kanharpuri Tumakala Bori Litiya road	Durg	18.00
119	Khedamara Bodegaon Nankatti road	Durg	16.80
120	Bharar Patan road	Durg	17.00
121	Patan Batena Sawni Ruhi Jamgaon road	Durg	14.00
122	Teligundara Kesra Tarrighat road	Durg	15.00
123	Jamgaon Belhari Nipani Ranitarai road	Durg	20.20
124	Marra Kharra road	Durg	17.00
125	Jamagaon Batrel road	Durg	8.60
126	Gabdi Belodi Amalori road	Durg	7.60
127	Bhansuli Khamhariya Sipkona road	Durg	9.50
128	Jamgaon Amleshwar Jhit road	Durg	16.00
129	Sukma to Malkangiri road	Dantewada	12.00
130	Tongpal Leda Puspal road	Dantewada	15.00
131	Chhingarh Budadi road	Dantewada	12.80
132	Soutnar approach road	Dantewada	21.00
	Total -132 Roads		**2497.40**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 30 जुलाई 2010

क्रमांक 05/अ/82 वर्ष 2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	भोथा प. ह. नं.-35	2.69	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	पनवई नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद, मुख्यालय कुरूद, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/7677/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	आसरा प. ह. नं. 12	8.087	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज डुबान क्षेत्र हेतु. (अनुपूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्रमांक/7678/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	सांगिनकछार प. ह. नं. 11	9.726	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज डुबान क्षेत्र हेतु. (अनुपूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्रमांक/अ-82/भू-अर्जन/02/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	कमेला	3.106	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना का डुबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/06/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	देवड़ा	6.08	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत देवड़ा सब माइनर नहर चैन 14 से चैन 102 एवं सोनारपाल-देवड़ा माइनर नहर चैन 25.2 से चैन 75 निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/07/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	भानपुरी	9.442	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत भानपुरी माइनर क्र. 1, भानपुरी माइनर क्र. 2, भानपुरी सब माइनर एवं माइनर नहर क्र. 3 के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/08/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	बाकेल	2.69	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाकेल माइनर नहर क्रमांक 1 एवं बाकेल सब माइनर नहर क्रमांक 2 के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अमोरा प.ह.नं. 14	56.219	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अमोरा प.ह.नं. 14	6.946	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	लटिया प.ह.नं. 6	30.315	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	मुरलीडीह प.ह.नं. 6	5.214	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	तरौद प.ह.नं. 14	26.401	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/06/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	रोगदा प.ह.नं. 14	52.917	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियां का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	पकरिया प.ह.नं. 6	23.549	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	नरियरा प.ह.नं. 13	45.465	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्रमांक/7666/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कोटरासरार, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.835 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
505	0.065
506/1	0.004
506/2	0.097
512/2	0.037
512/4	0.073
512/5	0.037
512/6	0.025
512/7	0.020
513	0.227
514/1	0.048
534/1	0.081
534/2	0.073
534/4	0.048
योग 13	0.835

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोखली-बांकल-पनेका मार्ग पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्रमांक/7668/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-नरेटीटोला, प. ह. नं. 61
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-04.982 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	114	0.226
	64/4	0.109
	64/5	0.041
	64/7	0.081
	64/8	0.020
	84/3	0.303
	151/1	0.196
	155/4	1.222
	155/5	0.364
	155/6	0.364
	155/7	0.283
	156	0.911
	158/4	0.781
	158/5	0.081
योग	14	4.982

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना नहर निर्माण कार्य हेतु. (अनुपूरक)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त, 2010

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./25/अ-82/वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोवा, प. ह. नं. 109
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-274.75 वर्ग मी.

	खसरा नम्बर	रकबा (वर्ग मी. में)
	(1)	(2)
	101/9, 104/3, 105/3	114.60
	98/2, 99/2, 101/5, 102/3, 103/3	63.00
	99/4, 100/1, 101/10	44.10
	94/8, 101/22	19.30
	101/4, 102/2, 103/2, 104/2	33.75
योग	17	274.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोवा ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2010

क्रमांक/3437/आ.भू.अ./ना.तह./परीक्षा/10—छत्तीसगढ़ जूनियर प्रशासकीय सेवा में स्नातक पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं लिपिक संवर्ग में से सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नायब तहसीलदार के पदों को भरने हेतु परीक्षा वर्ष 2010.

परीक्षा का आयोजन :—

छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम, 1980 नियम-6 (1) (2) (अ), नियम-13 और अनुसूची-5 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत राजस्व विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों (यथा-राजस्व मंडल, आयुक्त भू-अभिलेख, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और उसके अधीनस्थ राजस्व कार्यालय) के स्नातक (ग्रेजुएट) लिपिक, पटवारी और राजस्व निरीक्षक संवर्ग से सीधी भर्ती द्वारा राजस्व विभाग के रिक्त नायब तहसीलदार के पदों को भरने के लिये सीमित लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन राजस्व संभागीय मुख्यालयों पर एक साथ किया जावेगा.

(2) परीक्षा कार्यक्रम संलग्न है.

(3) इस परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले पदों का विवरण निम्नांकित हैं. यह विवरण वर्ष 2008 के अंत में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर है.

पद का नाम	संवर्ग	पदों की संख्या	अनारक्षित एवं आरक्षित पदों की संख्या		पद का वेतनमान
			अनारक्षित पद	आरक्षित पद	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नायब तहसीलदार	रा.नि./पट.	28	14	अ.जा.-4 अ.ज.जा.-6 पिछड़ा वर्ग-4	9300-38400 एवं ग्रेडवेतन*
	लिपिक	29	14	अ.जा.-5 अ.ज.जा.-6 पिछड़ा वर्ग-4	9300-38400 एवं ग्रेडवेतन*

* महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुसार देय होगा.

(4) उक्त रिक्त पदों में से आरक्षण नियमानुसार होगा.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित पद ऐसे सदस्यों से नहीं भरे जायेंगे जो यथास्थिति, ऐसी जातियों या जनजातियों या वर्गों के नहीं हैं.

(6) मेरिट सूची से रिक्त पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक नियुक्तियां की जा सकेगी.

(7) राज्य शासन, उक्त रिक्त और भरे जाने वाले पदों की संख्या में संशोधन अर्थात्, कमी या वृद्धि कर सकेगा.

सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्रता और अर्हता :— उक्त सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु निम्नांकित योग्यताएं अनिवार्य होंगी :—

(1) आवेदक को राजस्व विभाग का मूल कर्मचारी होना (राजस्व मंडल, आयुक्त, भू-अभिलेख, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और उनके अधीनस्थ राजस्व कार्यालयों तथा इनसे संबंधित राजस्व विभाग के वे कर्मचारी जो अन्य विभागों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं.)

(2) आवेदक अनिवार्य रूप से मात्र लिपिक, पटवारी और राजस्व निरीक्षक संवर्ग से ही होना चाहिए.

(3) आवेदक को स्नातक (ग्रेजुएट) होना अनिवार्य है.

(4) आवेदक उक्त पदों पर स्थायी या स्थानापन्न हैसियत से दिनांक 01 जनवरी, 2010 की स्थिति में, पांच वर्ष की शासकीय सेवा अवधि पूर्ण कर चुका हो.

(5) अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं हो, तथा आरक्षित श्रेणी के आवेदकों की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं हो. उम्मीदवार की आयु उस वर्ष की 01 जनवरी को आधार मानकर गणना की जाय, जिस वर्ष प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा रही है. इस वर्ष हेतु आयु की गणना का आधार दिनांक 01 जनवरी, 2010 होगा.

(6) आवेदक इस परीक्षा में उपरोक्त योग्यता के अध्याधीन रहते हुए अधिकतम तीन प्रयासों में सम्मिलित हो सकेगा.

(7) आवेदक, शासकीय कर्मचारियों के सेवा अभिलेख में अंकित विवरण की अंतिम और मान्य होगा.

अन्य निर्देश एवं शर्तें

(1) परीक्षा फार्म भरने से पूर्व अभ्यार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि, वे इस परीक्षा हेतु आवश्यक योग्यता और अर्हता रखते हैं. किसी भी स्तर पर कमी अथवा अयोग्य पाये जाने पर पात्रता निरस्त कर दी जायेगी और आवेदक ही इस हेतु उत्तरदायी होगा. परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक कर्मचारियों को आवेदन पत्र प्रारूप, परीक्षा पाठ्यक्रम एवं अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने कार्यालय प्रमुख जिसके अधीन वह कार्यरत है से सम्पर्क करना चाहिए.

(2) निर्धारित प्रारूप में सुलेख में भरे हुये आवेदन आवश्यक अभिलेखों सहित प्रस्तुत करने के अंतिम दिनांक अथवा इसके पूर्व आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ कार्यालय को भेजने हेतु अपने कार्यालय प्रमुख अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने चाहिये.

(3) निर्धारित प्रारूप से भिन्न अन्य प्रारूप में अथवा सादे प्रपत्र पर एवं निर्धारित दिनांक के उपरांत प्रस्तुत या प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे. विलंब से डाक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

(4) आवेदक के कार्यालय प्रमुख से भिन्न किसी अन्य कार्यालय प्रमुख के यहां प्रस्तुत आवेदन पत्र किसी, आवेदक द्वारा अन्य कार्यालय को भेजे गये आवेदन पत्र अथवा सीधे प्रस्तुत आवेदन पत्र भी स्वीकार योग्य नहीं होंगे.

(5) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक 15 सितम्बर, 2010 होगा.

(6) यदि आवश्यक हुआ तो आयुक्त, भू-अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक, परीक्षा प्रारंभ करने का दिनांक तथा परीक्षा स्थानों में परिवर्तन कर सकेगा.

(7) आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार अथवा अस्वीकार करने संबंधी लिया गया निर्णय अंतिम होगा, और उसके विरुद्ध किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई अभ्यावेदन, अपील प्रस्तुत नही की जा सकती.

(8) परीक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार दो प्रश्न पत्र होंगे, इसमें प्रत्येक 50 अंक का तथा ढाई घन्टे की अवधि का होगा.

(अ) प्रथम प्रश्न पत्र :—
सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी तथा प्रारंभिक अंक गणित.

(ब) द्वितीय प्रश्न पत्र :—
शासकीय सेवा से संबंधित सामान्य नियमों का ज्ञान, राजस्व विभाग में उपयोग में आने वाली शब्दावली का ज्ञान तथा भू-राजस्व संहिता एवं विभाग द्वारा प्रसारित अन्य अधिनियमों का प्रारंभिक संक्षिप्त ज्ञान.

(9) सफल होने के लिये प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

(10) परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने तथा वापस जाने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा.

(11) लिखित परीक्षा में सफल कर्मचारियों की दोनों प्रश्न पत्रों में प्राप्त कुल अंकों के अनुसार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी. तद्उपरांत ऐसे कर्मचारियों के गत पांच वर्षों के गोपनीय चरित्रावली का मूल्यांकन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जायेगा. लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों एवं गोपनीय चरित्रावली के मूल्यांकन के आधार पर एक अंतिम सूची तैयार की जावेगी इस अंतिम चयन सूची में से कर्मचारियों के क्रमानुसार नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्ति प्रदान की जावेगी.

(12) उपरोक्तानुसार नियुक्त कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता क्रम अंतिम चयन सूची की वरिष्ठता पर आधारित होगी.

(13) नियुक्ति के उपरांत उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा. इस अवधि के दौरान उन्हें नायब तहसीलदारों के लिये निहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा निर्धारित नियमोचित विभागीच परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी.

परीक्षा कार्यक्रम

(1)	अधिसूचना का प्रकाशन	—	23 अगस्त, 2010
(2).	आवेदन पत्र प्रस्तुत किये का दिनांक	—	23 अगस्त, 10 से 15 सितम्बर, 10
(3)	परीक्षा का संभावित दिनांक	—	24 अक्टूबर, 2010

सुनील कुजुर,
आयुक्त, भू-अभिलेख.